#### GOVERNMENT OF INDIA



### अमाधारण

### **EXTRAORDINARY**

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 2018/फाल्गुन 23, 1939

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 466

No. 59]

DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 2018/PHALGUNA 23, 1939

[N.C.T.D. No. 466

### भाग----IV PART-IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

# प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

### अधिसूचना

### दिल्ली, 13 मार्च, 2018

सं.फा. 6(78) / एसबी / डीटीटीई / 2015 / आरआर / 775.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं.फा. 24 / 78 / 68--डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत डिग्री स्तरीय महाविद्यालयों में कर्मशाला सहायक के पद पर भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं:-

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :- (1) इन विनियमों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत डिग्री स्तरीय महाविद्यालयों में कर्मशाला सहायक के पद हेतू (भर्ती एवं पदोन्नति) नियमावली. 2018 कहा जाये।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर के साथ संबद्ध इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति
- जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति / पत्नी है; या

1470 DG/2018

(ख) जिसने जीवित पत्नी / पित के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

- 5. **छूट प्रदान करने की शक्ति**:— जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
- 6. बचाव:-- इस विनियम में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

	अनुसूची							
1.	पदनाम	:	कर्मशाला सहायक					
2.	पदों की संख्या	:	06 (तीन) (2018)*					
			(जी. बी. पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज, चौधरी ब्रह्म प्रकाश गवर्मेंट					
			इंजीनियरिंग कॉलेज एवं अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस					
			कम्यूनिकेशन टैक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्रत्येक में दो—दो पद)					
			*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।					
3.	वर्गीकरण		सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित/अलिपिकीय					
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर/वेतनगान	:	रतर-2 (1990063200/ - रुपए)					
<b>-</b>	and distance and distance		सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार					
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं	:	लागू नहीं					
J.	वरिष्ठता या गैर चयन पद		(11, 16)					
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	_	18-27 वर्ष					
0.	्राजा नता पाल उन्मादपारा क लिए आयु सामा		ा8−27 पप नोट−1: भारत सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेशों / आदेशों					
	,		के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय ।					
	*							
			नोट-2: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो					
			भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि					
			है, न कि, असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,					
			नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लददाख सब					
			डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले					
			की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के					
			उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख है।					
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक	:	अनिवार्य :					
	तथा अन्य योग्यताएँ							
			किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय से तीन वर्षीय					
			डिप्लोमा या प्रासंगिक / संबद्ध विषय में समकक्ष, अथवा					
	•		किसी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में वांछित					
			ट्रेड में दो वर्ष के अनुभव सहित सुसंगत या संबद्ध विषय / क्षेत्र में किसी					
			मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड/विष्वविद्यालय से औद्योगिकी प्रशिक्षण					
			संस्थान/राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र सहित					
			10 कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष					
			नोटः विषय की प्रासंगिकता पद के विज्ञापन के समय निर्णित होगी।					
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए		लागू नहीं					
0.	निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा		and an					
	पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।							
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<del> </del>	दो वर्ष					
<u></u>	न राजाबा या जायाज, याच याइ हा	Ι	MI MA					

10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा  टीप:— पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले उन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी जो कॉलम ७ के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखते हो।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नित समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	समूह-ग, विभागीय पदोन्नित समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ)  1. प्रधान सचिव/सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय— अध्यक्ष  2. विभागाध्यक्ष, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय—सदस्य  3. विशेष/अपर निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय—सदस्य  सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के नाम तथा उनके आदेश पर

अश्वनी कुमार कंसल , उप निदेशक (एसबी)

# DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

Delhi, the 13th March, 2018

No.F.6(78)/SB/DTTE/2015/RR/775:—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs notification No. F24/78/68-DH (S) dated 24<sup>th</sup> September. 1968, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Workshop Assistant in Degree Level Colleges under the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

- 1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called the Workshop Assistant in Degree Level Colleges under Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi (Recruitment and Promotion) Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix: The number of posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in Column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.
- 3. Method of Recruitment, Age limit and other qualification:- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Column No. (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualifications**: No person
  - (a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living or
  - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person; Shall be eligible for appointment to any of the said post.

Provided that Department of Training and Technical Education may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax:- Whether the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reason to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

**6. Saving:** - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### **SCHEDULE**

ì	Name of the Post	:	Workshop Assistant	
2	Number of Post	:	06* (2018)	
			(Two posts each in G.B. Pant Engineering College, Ch. Brahm Prakash Government Engineering College and Ambedkar Institute of Advanced Communication Technologies & Research)	
			*Subject to variation, depending on workload.	
3	Classification	:	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial	
4	Level in the Pay Matrix	:	Level-2 (Rs. 19900-63200) as per 7 <sup>th</sup> CPC.	
5	Whether Selection post or non-selection post	:	Not Applicable	
6	Age limit for direct recruitment	:	Between 18-27 Years.	
			<b>Note 1:</b> Relaxable for Government Servants as per instructions/ order issued by the Government of India from time to time.	
			Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti Distt. And Pangi Sub-Division of Chamba Distt. Of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands & Lakshdweep)	
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	:	Essential:	
			03 (Three) years Diploma from a recognized Institute/Board/ University or equivalent in relevant/ allied subject.	
			OR	
	·		Class 10 <sup>th</sup> passed with Industrial Training Institute / National Trade Certificate/ National Apprenticeship Certificate or equivalent from a recognized institute/ board/ University in the relevant or an allied subject/field with 02 (two) years experience in the desired trade in a Government / Public Sector Undertaking/ Autonomous Institutions.	
			<b>Note:</b> Relevancy of the subject will be decided at the time of advertisement of the post.	
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	:	Not Applicable	
9	Period of probation, if any	:	Two Years	
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods		Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by the appointing authority on deputation basis from officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department and possessing the educational and other qualification prescribed for direct recruit under Column No. 7.	

11	In case of recruitment by promotion/ deputation/Absorption grades from which romotion/deputation/absorption to be made	:	Not Applicable	
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	:	Group-C Departmental Promotion Conconfirmation):  1. Principal Secretary/Secretary DTTE  2. Head of Department, DTTE  Special/Additional Director, DTTE	nmittee (for considering – Chairman – Member – Member
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	:	Not Applicable	

By Order and in the Name of the Lt. Governor, of the National Capital Territory of Delhi.

ASHWANI KUMAR KANSAL, Dy. Dir. (SB)